पूर्ण बेंच

विविध नागरिक।

जस्टिस आरएस नरूला, जस्टिस प्रेम चंद जैन, जस्टिस गुरनाम सिंह, जस्टिस एमआर शर्मा और जस्टिस आरएन मित्तल के समक्ष

हरपाल सिंह आदि, याचिकाकर्ताओं;

बनाम

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और एक और, ... उत्तरदाताओं।

1977 की सिविल रिट संख्या 977

31 अगस्त 1977 को हुआ फैसला

***पंजाब पुलिस नियम,* 1934 - *नियम* 13.1, 13। (*और* 19.14- *भारत का संविधान* -** अनुच्छेद 16 - ***नियम* 19.14 - *क्या अनुच्छेद* 16** का उल्लंघन करता है ।

आयोजित:

कि पुलिस कांस्टेबलों को विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों का पालन करना होता है। पंजाब पुलिस नियम 1934 के नियम 19.14 का उद्देश्य यह है कि उन्हें अन्य कर्तव्यों से खुद को अलग करना चाहिए और चयनकर्ताओं की निगरानी में एक संक्षिप्त निर्देश देना चाहिए ताकि वास्तव में योग्य कांस्टेबलों को पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज में प्रशिक्षण के लिए चुना जा सके। नियम में एक संकेत है कि जो उम्मीदवार आयु सीमा के करीब हैं, उन्हें वरीयता दी जानी चाहिए और अन्य मामलों में उन्हें प्रतियोगिता के परिणाम के अनुसार चुना जाना चाहिए। पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज में सीमित रिक्तियां हैं और यदि कांस्टेबलों को पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक भाग लेने की उनकी क्षमता की परवाह किए बिना भेजा जाता है, तो इसका मतलब सार्वजनिक प्रयासों

की बर्बादी होगी। अन्यथा भी जब बड़ी संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध होते हैं, तो यह प्रशासनिक प्राधिकरण के लिए खुला है कि वह किसी संस्थान में आगे के प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम व्यक्तियों का चयन करने के लिए एक उचित विधि विकसित करे। नियम यादृच्छिक रूप से चयन की परिकल्पना नहीं करता है, लेकिन पात्र कांस्टेबलों को एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। किसी भी सेवा में, दो परस्पर विरोधी हित होते हैं- एक कर्मचारियों का और दूसरा नियोक्ता का। कर्मचारी पदोन्नति और कार्यालय की उच्च परिलब्धियां चाहते हैं और नियोक्ता चाहता है कि सेवा कुशल होनी चाहिए। जब इन परस्पर विरोधी हितों को एक वैधानिक नियम द्वारा शासित किया जाता है, तो एक अदालत जिसे इसकी तर्कसंगतता निर्धारित करने के लिए बुलाया जाता है, उसे दोनों हितों पर उचित ध्यान देना पड़ता है। यह नियम जो सभी कांस्टेबलों के साथ समान व्यवहार करता है और उन्हें अपनी योग्यता दिखाने में सक्षम बनाता है, को केवल इसलिए अनुचित नहीं कहा जा सकता है क्योंकि प्रतियोगिता का परिणाम उन लोगों की पसंद के अनुसार नहीं है जो ग्रेड बनाने में विफल रहते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में यह अपेक्षा की गई है किप्रत्येक पात्र व्यक्ति के मामले पर समान सिद्धांतों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए और इससे अधिक नहीं। यदि विचार के लिए नीति एक नियम में निर्धारित की गई है और ठीक से प्रशासित है, तो नियम को इन अनुच्छेदों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। नियमों के नियम 19.14 का उद्देश्य सेवा की दक्षता में सुधार करना है और सभी सूचीबद्ध कांस्टेबलों के मामलों में समान रूप से लागू है। इसलिए, यह संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नहीं करता है।

(पैरा 11, 12 और 16)।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका में *अनुरोध किया गया है कि प्रतिवादियों को निर्देश देते हुए सर्टिओरारी, मंडमस या कोई अन्य उपयुक्त रिट, निर्देश या आदेश जारी किया जाए*: -

(i) *मामले के पूर्ण रिकॉर्ड का उत्पादन करने के लिए*;

(*ii*) *अनुलग्नक 'पी -2' में आदेश को रद्द किया जाए;*

(*iii*) *उत्तरदाताओं को लोअर स्कूल कोर्स के लिए याचिकाकर्ताओं को प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया जाए*;

(*iv*) *नियम* 19.14 को संविधान के अनुच्छेद 16 *के दायरे से बाहर घोषित किया जाए;*

(*v*) *यह माननीय न्यायालय कोई अन्य आदेश पारित कर सकता है जिसे वह मामले की परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे;*

(*vi*) *यह माननीय न्यायालय वेतन, वरिष्ठता आदि के बकायों की प्रकृति में सभी परिणामी राहतें भी प्रदान करता है;*

(*vii*) *रिट याचिका की प्रमाणित प्रतियां और अनुलग्नक दाखिल करने से छूट दी जाए*;

(*viii*) *इस याचिका की लागत याचिकाकर्ताओं को दी जाए*:

याचिकाकर्ताओं की ओर से जवाहर लाल गुप्ता, अधिवक्ता।

एम.आर.अग्निहोत्री, एडवोकेट और एडवोकेट वाई.के.शर्मा, प्रतिवादियों के लिए।

निर्णय

न्यायमूर्ति एमआर शर्मा, - (1) याचिकाकर्ताओं को याचिका के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित विभिन्न तिथियों पर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कांस्टेबल के रूप में भर्ती किया गया था।

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के प्रावधानों के आधार पर, उनकी सेवा की शर्तें पंजाब पुलिस नियम, 1934 (इसके बाद नियमों के रूप में संदर्भित) द्वारा शासित थीं। 30 जनवरी, 1913 को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने एक स्थायी आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि कांस्टेबलों को एक प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर लोअर स्कूल कोर्स में प्रतिनियुक्त किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने 1976 की सिविल रिट याचिका संख्या 1812 दायर की, जो न्यायमूर्ति आरएन मित्तल के समक्ष आई, जिन्होंने 12 सितंबर, 1976 को निम्नलिखित शब्दों में इसका निपटारा किया: -

> "प्रतिवादियों के वकील ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं को 18 अगस्त, 1973 के आदेश पर विचार किए बिना उस समय लागू पंजाब पुलिस नियमों के अनुसार अप्रैल, 1977 में शुरू होने वाले लोअर स्कूल कोर्स में भेजने पर विचार किया जाएगा और प्रतिवादी अक्टूबर तक अनुबंध 'पी -1' में उल्लिखित किसी भी व्यक्ति को हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत नहीं करेंगे। 1977. उपरोक्त वचन के मद्देनजर, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील रिट याचिका पर जोर नहीं देते हैं। नतीजतन, लागत के बारे में कोई आदेश दिए बिना रिट याचिका का तदनुसार निपटान किया जाता है।

इसके बाद, याचिकाकर्ता संख्या 1 से 4, 6, 8, 11, 12 और 13 ने 1976 की एक और सिविल रिट याचिका संख्या 7709 दायर की, जिसमें कार्यकारी निर्देशों के तहत शुरू की गई परीक्षा के आधार पर लोअर स्कूल कोर्स में कांस्टेबलों को प्रतिनियुक्त करने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। यह याचिका 8 दिसंबर, 1976 को मेरे और मेरे विद्वान भाई न्यायमूर्ति एसएस सिद्धू के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी। *हेड कांस्टेबल सरदुल सिंह* बनाम *पुलिस महानिरीक्षक, पंजाब और अन्य* [(1)] में निर्धारित नियम के अनुसार, हमने आदेश दिया कि प्रतिवादी नियमों के अनुसार लोअर स्कूल कोर्स में भेजे जाने के लिए याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करेंगे और उन पर उस परीक्षा को पास करने के लिए जोर नहीं देंगे जो

कार्यकारी निर्देशों के तहत प्रदान की गई है। याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि जब वे उम्मीद कर रहे थे कि उनकी वरिष्ठता और सेवा के रिकॉर्ड के आधार पर 1 अप्रैल, 1977 से शुरू होने वाले लोअर स्कूल कोर्स के लिए उन पर विचार किया जाएगा और भेजा जाएगा, प्रतिवादी नंबर 2 ने 13 मार्च, 1977 को एक आदेश जारी किया जिसमें निर्देश दिया गया कि याचिकाकर्ताओं को भी अन्य, 17 मार्च, 1977 से पुलिस लाइन में आयोजित रिफ्रेशर कोर्स में शामिल होते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि नियमों का नियम 19.1, जो पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में प्रवेश से कम से कम 3 महीने पहले कांस्टेबलों को ड्रिल और निर्देश के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के लिए बुलाने की अनुमति देता है, जिसके अंत में उन्हें प्रतियोगिता में परीक्षा देनी होती है, संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि चयन 1 जनवरी, 1977 से पहले नहीं किया गया है, यानी, पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में प्रवेश की तारीख से 3 महीने पहले, प्रतिवादी, "अब याचिकाकर्ताओं को प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं, खासकर जब उन्हें अपेक्षित प्रशिक्षण नहीं दिया गया है।

(2) प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से दायर रिटर्न में, यह प्रस्तुत किया गया है कि उन्होंने नियमों के नियम 13.1, 13.7 और 19.14 के अनुपालन में सख्ती से काम किया है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और परीक्षा की तारीख, समय और अवधि के बारे में नियमों के नियम 19.14 के प्रावधान 'इस अर्थ में अनिवार्य हैं कि अनुसूची को क्रोनोमेट्रिक सटीकता में देखा जाना चाहिए' और यदि प्रशासन के कुछ आकस्मिक और महत्वपूर्ण पूर्व-व्यवसायों के कारण, पहले कार्रवाई नहीं की जा सकी, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, फिल्लौर के प्रिंसिपल से परामर्श करने के बाद रिफ्रेशर कोर्स की अवधि और समय अनुसूची में बदलाव किया जा सकता है।

(3) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री जेएल गुप्ता ने प्रस्तुत किया है कि यह इस न्यायालय के लिए खुला है कि वह एक वैधानिक नियम के दर्शन को निर्धारित करे और इसे संविधान के अनुच्छेद 16 के उल्लंघन के रूप में खारिज कर दे यदि यह एक लोक सेवक को अपने करियर के सभी चरणों में आगे पदोन्नति के लिए आवश्यक योग्यता प्राप्त करने का अवसर प्रदान नहीं करता है। खासकर जब ऐसी योग्यता केवल विभागीय रूप से संचालित संस्थान में प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने आगे कहा है कि एक कांस्टेबल को उच्च रैंक पर पदोन्नत करने की प्रक्रिया पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज में लोअर स्कूल कोर्स की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद शुरू होती है और नियमों के नियम 19.14 में इस हद तक शामिल होना अनिवार्य है कि एक पुलिस कांस्टेबल को ड्रिल और निर्देश के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लेना और उसके बाद एक प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य है। पदोन्नति के लिए योग्य बनने के लिए उसके रास्ते में अनावश्यक बाधाएं डालता है। उनके अनुसार, एक पुलिस कांस्टेबल को अपनी भर्ती पर, रोल पर लाने से पहले आवश्यक प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है और उसके बाद, उसे अपनी वरिष्ठता और सेवा रिकॉर्ड के आधार पर लोअर स्कूल कोर्स पास करने के लिए भेजे जाने का अधिकार है। अपनी दलील के समर्थन में, विद्वान वकील ने न्यायमूर्ति तुली द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों की समानता से समर्थन प्राप्त करने की मांग की, जिन्होंने *सार्दुल सिंह के मामले* (सुप्रा) में पूर्ण पीठ के लिए बात की थी: -

> पीठ ने कहा, "याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी जाती है कि जब वह सक्षम हो जाएगा तो उसे इंटरमीडिएट स्कूल पाठ्यक्रम के लिए भेजा जाएगा लेकिन ऐसा हो सकता है कि उस समय वह या तो अधिक उम्र या शारीरिक अक्षमता के कारण उस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके। उस स्थिति में इसका मतलब यह होगा कि ऐसे हेड कांस्टेबल को हमेशा हेड कांस्टेबल के रूप में बने रहने के लिए निंदा की जाती है और वह अगले उच्च रैंक पर पदोन्नति की मांग नहीं कर सकता है। इसलिए, हमारा विचार है कि यह नियम 13.9 में निहित है और इस नियम की भाषा से एक वैध निष्कर्ष निकाला जा

सकता है कि सूची 'सी' के प्रत्येक हेड कांस्टेबल को अपनी बारी पर इंटरमीडिएट स्कूल कोर्स के लिए प्रतिनियुक्त होने का अधिकार है और किसी भी अधिकारी द्वारा उसके रास्ते में कोई बाधा नहीं डाली जा सकती है क्योंकि यह उस नियम द्वारा निर्धारित एक आवश्यक योग्यता है और ऐसा नहीं है। अन्य संस्थान जहां से यह योग्यता प्राप्त की जा सकती है। यदि कोई हेड कांस्टेबल किसी अन्य संस्थान से इंटरमीडिएट स्कूल पाठ्यक्रम पास करके खुद को अर्हता प्राप्त कर सकता है, तो सरकार पर उस पाठ्यक्रम को पास करने का अवसर देने के लिए कोई दायित्व नहीं डाला जाएगा और इस प्रकार उस योग्यता को प्राप्त करने के लिए कोई दायित्व नहीं डाला जाएगा जैसा कि शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है जिसे उम्मीदवार द्वारा कई संस्थानों में से किसी से भी प्राप्त किया जा सकता है। चूंकि यह योग्यता किसी अन्य तरीके से हासिल नहीं की जा सकती है, लेकिन पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज में प्रवेश से, उस पाठ्यक्रम से गुजरने के इच्छुक हेड कांस्टेबल को ऐसा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। चूंकि इंटरमीडिएट स्कूल कोर्स के लिए सीटों की संख्या सीमित है, इसलिए हेड कांस्टेबल को वरिष्ठता के क्रम में भेजा जा सकता है जैसा कि यहां बताया गया है।

दूसरे बिंदु पर, यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि ड्रिल और निर्देश के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए चयन उस तारीख से तीन महीने पहले नहीं किया गया था, जिस तारीख को चयनित कांस्टेबलों को पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज भेजा जाना था, इसलिए किया गया चयन नियम 19.14 के स्पष्ट शब्दों के विपरीत था। इस तरह के चयन को नजरअंदाज करना पड़ा और याचिकाकर्ताओं को उनकी वरिष्ठता और सेवा रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज भेजना पड़ा।

(4) दूसरी ओर, प्रतिवादियों के विद्वान वकील श्री एमआर अग्निथोत्री ने प्रस्तुत किया है कि नियम 19.14 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि पात्र कांस्टेबलों को लाइन पर बुलाया जाएगा

और इंटरमीडिएट स्कूल पाठ्यक्रम के लिए हेड कांस्टेबलों के चयन से संबंधित नियम 13.9 के प्रावधानों के विपरीत ड्रिल और निर्देश का पुनश्चर्या पाठ्यक्रम दिया जाएगा और *सार्दुल सिंह के मामले* में पूर्ण पीठ द्वारा की गई टिप्पणियां की जाएंगी। (सुप्रा) लोअर स्कूल कोर्स के लिए कांस्टेबलों के चयन से संबंधित उनके पक्ष में थे। उन्होंने आगे कहा है कि नियम 19.14 में सभी पैदल कांस्टेबलों के साथ समान व्यवहार किया गया है और संबंधित नियमों को संयुक्त रूप से पढ़ने से पता चलता है कि हेड कांस्टेबल के पद पर एक कांस्टेबल की पदोन्नति की प्रक्रिया उस दिन शुरू होती है जब उसका नाम रोल पर लाया जाता है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया है कि नियम 19.14 का उद्देश्य सेवा में दक्षता शुरू करना है और यह अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नहीं है। दूसरे बिंदु पर, यह आग्रह किया जाता है कि इस नियम में उल्लिखित ड्रिल और निर्देश के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के लिए तीन महीने की अवधि के प्रावधानों को केवल निर्देशिका प्रावधान के रूप में माना जाना चाहिए।

(5) सामान्य कानून के तहत, जहां कार्य आधिकारिक प्रकृति के हैं, या आधिकारिक व्यक्तियों की सहमति की आवश्यकता है, उनके उचित निष्पादन के पक्ष में एक धारणा उत्पन्न होती है। हर्बर्ट ब्रूम 1973 संस्करण के पृष्ठ 642 पर कानूनी मैक्सिम्स का चयन निम्नानुसार है-

> "इन मामलों में सामान्य नियम यह है, *सर्वव्यापी* अनुष्ठान और सर्वज्ञ एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं - सब कुछ सही और विधिवत रूप से किया जाता है जब तक कि विपरीत नहीं दिखाया जाता है। निम्नलिखित को इस मैक्सिम को दर्शाते हुए कानून के सामान्य अनुमानों के रूप में उल्लेख किया जा सकता है। कि एक व्यक्ति, वास्तव में सार्वजनिक क्षमता में कार्य करते हुए, उचित रूप से नियुक्त किया गया था और कार्य करने के लिए विधिवत रूप से अधिकृत है; इसके विपरीत सबूत के अभाव में, उन सार्वजनिक अधिकारियों को श्रेय दिया जाना चाहिए, जिन्होंने प्रथम दृष्टया, अपने

अधिकार की सीमा के भीतर काम किया है, ईमानदारी और विवेक के साथ ऐसा करने के लिए।

(6) एक विधायिका एक साधारण लोक सेवक की तुलना में बहुत ऊंचे पायदान पर खड़ी है। यह माना जाता है कि वह संवैधानिक कानून और उन बुराइयों सहित मौजूदा कानून को जानता है जिन्हें वह दूर करना चाहता है। इसके मामले में भी एक धारणा उत्पन्न होती है कि यह संविधान के अनुसार कार्य करता है। श्री *रामकृष्ण डालमिया* बनाम *श्री न्यायमूर्ति एस.आर. तेंडोलकर* और *अन्य*, [(2)] ने यह माना था कि संवैधानिकता की धारणा को बनाए रखने के लिए, न्यायालय सामान्य ज्ञान के मामलों, सामान्य रिपोर्ट के मामलों, समय के इतिहास को ध्यान में रख सकता है और तथ्यों की हर स्थिति को मान सकता है जिसे कानून के समय कल्पना की जा सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि एक न्यायालय को आसानी से यह अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि एक वैधानिक नियम संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है। यदि कोई धारणा बनानी ही है, तो उसे संविधान के अनुसार होने के पक्ष में बनाना होगा; लेकिन अगर कानून या मामले की आसपास की परिस्थितियों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर वर्गीकरण को यथोचित रूप से आधारित माना जा सकता है, तो संवैधानिकता की धारणा को हमेशा यह मानने की हद तक नहीं ले जाया जा सकता है कि कुछ व्यक्तियों या निगमों को शत्रुतापूर्ण या भेदभावपूर्ण कानून के अधीन करने के लिए कुछ अज्ञात और अज्ञात कारण थे।

(7) उपर्युक्त टिप्पणियां उस मामले पर समान उत्साह के साथ लागू होती हैं जिसमें संविधान के अनुच्छेद 16 के आधार पर सेवा नियम की वैधता को चुनौती दी जाती है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य सार्वजनिक कार्यालयों में नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करना है। उन्हें न केवल सेवा में उनके प्रारंभिक प्रवेश के समय बल्कि उनके सेवा कैरियर के बाद के चरणों में भी समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। साथ ही, यह नियम बनाने वाले प्राधिकरण के लिए खुला है कि वह लोक सेवकों की विभिन्न

श्रेणियों के लिए उचित वर्गीकरण करे। इस अनुच्छेद द्वारा विचार की गई समानता का तात्पर्य कर्मचारियों के एक ही वर्ग के सदस्यों के साथ समान व्यवहार के समझौते से है। जहां एक नियुक्ति प्राधिकारी दूसरों की तुलना में कुछ का चयन करता है और चयन के तरीके में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, इस अनुच्छेद को उल्लंघन करने वाला नहीं कहा जा सकता है, न ही कोई शिकायत कर सकता है जहां राज्य के तहत रोजगार के लिए या उच्च रैंक पर पदोन्नति के लिए खुद को पेश करने वाले उम्मीदवारों को उसी परीक्षा के अधीन किया जाता है। *संत राम शर्मा* बनाम *राजस्थान राज्य और अन्य*, [(3)] के मामले में, यह आयोजित किया गया था-

> "यदि राजस्थान राज्य ने चयन पदों पर नियुक्तियों से पहले अन्य पात्र उम्मीदवारों के साथ याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया होता, तो संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं होता क्योंकि हर कोई जो सेवा की शर्तों को देखते हुए पात्र था और विचार का हकदार था, वास्तव में उन चयन पदों पर पदोन्नति करने से पहले विचार किया गया था, "

(8) जो आवश्यक है वह यह है कि प्रत्येक पात्र लोक सेवक को एक ही मानदंड के आधार पर माना जाना चाहिए। मानदंड में न केवल शैक्षिक योग्यता शामिल हो सकती है, बल्कि शारीरिक फिटनेस, आयु, चरित्र और पूर्ववृत्त और अनुशासन की भावना आदि भी शामिल हो सकते हैं। आम तौर पर, नियम बनाने वाले प्राधिकरण से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने सामने आने वाले कार्य को जानता हो और उसे किसी पद के लिए आवश्यक योग्यता निर्धारित करने के लिए व्यापक विवेक के साथ निवेश किया जाता है। यदि प्रथम **दृष्टया** उचित प्रतीत होती है तो निर्धारित योग्यताओं को रद्द करना न्यायालय के लिए खुला नहीं है । साथ ही, यह किसी न्यायालय को निर्धारित योग्यताओं को रद्द करने से नहीं रोकता है यदि वे भेदभावपूर्ण प्रतीत होते हैं। *पांडुरंगराव जे* बनाम आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग, हैदराबाद ([(4)] में , *आंध्र प्रदेश* में न्यायिक

सेवा में भर्ती के संबंध में उस राज्य के उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के रूप में अभ्यास नहीं करने वाले व्यक्तियों को प्रतिस्पर्धा करने से रोकने के नियम को भेदभावपूर्ण बताकर निरस्त कर दिया गया था।

(9) नियम 19.14 के दर्शन को सर्वोच्च न्यायालय के उनके लॉर्डशिप द्वारा की गई आधिकारिक घोषणाओं से निकाले गए उपरोक्त सिद्धांतों के प्रकाश में आंका जाना चाहिए।

(10) अब नियमों का संक्षिप्त सर्वेक्षण करना आवश्यक हो जाता है। नियमों के नियम 13.1 में कहा गया है कि एक रैंक से दूसरे रैंक पर और एक ग्रेड से दूसरे रैंक में एक ही रैंक में पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर चयन द्वारा की जाएगी। दक्षता और ईमानदारी को चयन को नियंत्रित करने वाले कारक बनाया जाएगा। विशिष्ट योग्यता, चाहे उत्तीर्ण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की प्रकृति में हो या व्यावहारिक अनुभव, प्रत्येक मामले में सावधानीपूर्वक विचार किया जाएगा। नियम 13.7 में कहा गया है कि फॉर्म 13.7 में सूची 'बी' प्रत्येक पुलिस अधीक्षक द्वारा रखी जाएगी और इसे दो भागों में विभाजित किया जाएगा, एक चयन-ग्रेड कांस्टेबल से संबंधित और दूसरा पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज में ड्रिल और अन्य विशेष पाठ्यक्रमों के लिए उपयुक्त माने जाने वाले कांस्टेबलों से संबंधित है। अब हमें सूचित किया गया है कि चयन ग्रेड कांस्टेबलों की अब भर्ती नहीं की जाती है और परिणामस्वरूप कांस्टेबलों की दूसरी श्रेणी के लिए केवल एक सूची रखी जाती है। पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए रिक्तियां होने पर इस सूची से चयन किया जाता है। नियम में कहा गया है कि सूची में प्रवेश की तारीख पर ध्यान दिए बिना इस तरह के चयन करने में आमतौर पर उम्र में वरिष्ठता को ध्यान में रखा जाएगा और इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि सूची में शामिल कांस्टेबल को चयनित होने से पहले कॉलेज में प्रवेश के लिए अधिक उम्र की अनुमति न दी जाए। इस सूची में किसी भी कांस्टेबल को भर्ती नहीं किया जाना है जिसकी उम्र इतनी है कि वह सामान्य रूप से 30 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज में नहीं भेजा जा

सकता है। न ही एक कांस्टेबल, जो पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज में अर्हता प्राप्त करने में विफल रहा है, को सूची में फिर से भर्ती किया जाता है जब तक कि पुलिस अधीक्षक और कॉलेज के प्रिंसिपल इस बात से सहमत न हों कि वह उस पाठ्यक्रम में अर्हता प्राप्त करने के लिए एक और मौका पाने का हकदार है। नियम 13.8 में कहा गया है कि उन सभी कांस्टेबलों की कार्ड-इंडेक्स फॉर्म में एक सूची रखी जाएगी, जिन्होंने फिल्लौर में लोअर स्कूल कोर्स पास किया है और हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र माने जाते हैं। इस सूची में से, हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति उप-नियम 13.1 (1) और (2) में वर्णित सिद्धांतों के अनुसार की जाएगी। पैदल कांस्टेबलों के प्रशिक्षण के संबंध में प्रावधान अध्याय XIX में निहित हैं। नियम 19.1 इस बात पर जोर देता है कि सफल पुलिस कार्य काफी हद तक प्रत्येक अधिकारी पर निर्भर करता है जो अपनी पहल पर सही ढंग से कार्य करता है। यह पुलिस अधीक्षकों को उस समय सेवारत सभी अधिकारियों और पुरुषों के प्रशिक्षण पर अपना ध्यान देने का आदेश देता है। इस तरह के प्रशिक्षण का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों में शारीरिक स्वास्थ्य, गतिविधि, अनुशासन, आत्मनिर्भरता, अवलोकन, समयबद्धता, संयम, शिष्टाचार और अपने काम के निष्पादन में सीधे आगे बढ़ने की आदतों को विकसित करना होगा, साथ ही उनके लिए आवश्यक कार्य के तकनीकी विवरणों का ज्ञान भी होगा। *प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया होगी जो कार्य के दौरान की जाती है*। नियम 19.2 (1) में कहा गया है कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, जिसे रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक को सूचित किया जाएगा, भर्ती किए गए लोगों को रैंक में तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि वे छह महीने के प्रशिक्षण और निर्देश से गुजर नहीं जाते। इस नियम के उप-नियम (2) में यह प्रावधान है कि नियम 19.10 में यथा निर्धारित अभ्यास के दौरान और मुख्यालय में भी अनुदेश दिए जाएंगे। नियम 19.3 में प्रशिक्षण पूरा होने पर भर्ती किए गए लोगों की परीक्षा का प्रावधान है। इस परीक्षा को पास करने पर भर्ती होने वाले रैंक में पास हो जाते हैं। लेकिन तीन साल से कम की सेवा वाले कांस्टेबल की सेवा किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। नियम 19.6 कहता है कि पुलिस

स्टेशन या चौकी पर तैनात प्रत्येक कांस्टेबल को मुख्यालय के स्कूल में ड्रिल और निर्देश में एक महीने के प्रशिक्षण के लिए सालाना लाइन में बुलाया जाएगा। इसलिए, उसे एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा जांच की जानी चाहिए और यदि वह उसे संतुष्ट करने में विफल रहता है, तो उसे एक और महीने के लिए स्कूल में बनाए रखा जाता है। नियम 19.8 मुख्यालय स्कूल की स्थापना का प्रावधान करता है और नियम 19.9 में कहा गया है कि स्कूल को साक्षर और अशिक्षित कांस्टेबलों के लिए दो मुख्य भागों में विभाजित किया जाए। नियम 19.10 साक्षर और निरक्षर कांस्टेबलों के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रम निर्धारित करता है। अगला महत्वपूर्ण नियम नियम 1914 है जिसे चुनौती दी गई है और जो निम्नानुसार है -

नियम 13.7 के तहत किए गए कांस्टेबलों का चयन पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में पुरुषों के देय होने से कम से कम तीन महीने पहले किया जाएगा। यह तब किया जाएगा जब प्रतिस्पर्धा करने वाले पुरुषों को लाइनों में बुलाया जाएगा और मुख्यालय स्कूल में ड्रिल और निर्देश के एक छोटे 'पुनश्चर्या' पाठ्यक्रम के माध्यम से रखा जाएगा, जिसके अंत में उनकी प्रतियोगिता में जांच की जाएगी। आयु सीमा के करीब पहुंचने वाले उम्मीदवारों को ध्यान में रखते हुए, इस प्रतियोगिता के परिणाम के अनुसार, जहां तक समीचीन हो, चयन किया जाएगा । चयनित पुरुषों को स्टेशन क्लर्कों के सहायक के रूप में या इसी तरह की ड्यूटी पर पुलिस स्टेशनों में तैनात किया जाएगा, जब तक कि उन्हें पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में नहीं भेजा जाना है।

(11) पुलिस कांस्टेबलों को विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों का पालन करना होता है। इस नियम का उद्देश्य यह है कि उन्हें अन्य कर्तव्यों से खुद को अलग करना चाहिए और चयनकर्ताओं की निगरानी में एक छोटा सा निर्देश देना चाहिए ताकि वास्तव में योग्य कांस्टेबलों को पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज में प्रशिक्षण के लिए चुना जा सके। नियम में एक संकेत है कि जो उम्मीदवार आयु सीमा के करीब हैं, उन्हें वरीयता दी जानी चाहिए

और अन्य मामलों में उन्हें प्रतियोगिता के परिणाम के अनुसार चुना जाना चाहिए। बेशक, पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज में सीमित रिक्तियां हैं और यदि कांस्टेबलों को पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक भाग लेने की उनकी क्षमता की परवाह किए बिना भेजा जाता है, तो इसका मतलब सार्वजनिक प्रयास की बर्बादी होगी। अन्यथा भी जब बड़ी संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध होते हैं, तो यह प्रशासनिक प्राधिकरण के लिए खुला है कि वह किसी संस्थान में आगे के प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम व्यक्तियों का चयन करने के लिए एक उचित विधि विकसित करे। नियम यादृच्छिक रूप से चयन की परिकल्पना नहीं करता है, लेकिन योग्य कांस्टेबलों को एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। किसी भी सेवा में, दो परस्पर विरोधी हित होते हैं- एक कर्मचारियों का और दूसरा नियोक्ता का। कर्मचारी पदोन्नति और कार्यालय की उच्च परिलब्धियां चाहते हैं और नियोक्ता चाहता है कि सेवा कुशल होनी चाहिए। जब इन परस्पर विरोधी हितों को एक वैधानिक नियम द्वारा शासित किया जाता है, तो एक अदालत जिसे इसकी तर्कसंगतता निर्धारित करने के लिए बुलाया जाता है, उसे दोनों हितों पर उचित ध्यान देना पड़ता है। *राम शरण* बनाम *डीपुलिस उप महानिरीक्षक मामले में। अजमेर, और अन्य* [(5)] पुलिस बल में शुरू की गई त्रिस्तरीय प्रणाली के परिणामस्वरूप उच्च रैंकों पर पदोन्नति के मामले में कुछ अंतर हुआ। इस प्रणाली के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन करने के बारे में तर्क का उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित शब्दों में निपटान किया गया था -

"लेकिन यह आग्रह किया जाता है कि इसे दक्षता के विचारों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए, जिसके कारण पदोन्नति की तीन स्तरीय प्रणाली पहले से ही संदर्भित है और इसलिए इस प्रणाली को रद्द नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि एक जूनियर हेड कांस्टेबल को पदोन्नति मिल सकती है जबकि एक अन्य रेंज में एक वरिष्ठ हेड कांस्टेबल को इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए, ऊपर उल्लिखित

विभिन्न विचारों को संतुलित करते हुए, हमें ऐसा लगता है कि राजस्थान राज्य में लागू प्रणाली राज्य में पुलिस की दक्षता के साथ-साथ प्रशासनिक सुविधा के लिए विकसित हुई है, कानून के समक्ष समानता से इनकार करने या सार्वजनिक सेवा में रोजगार के मामले में समानता से इनकार करने के लिए अपने आप में यह नहीं कहा जा सकता है। भले ही कई बार ऐसा हो सकता है, क्योंकि सिस्टम के कारण एक रेंज में एक जूनियर हेड कांस्टेबल को कार्यवाहक उप-निरीक्षक के रूप में पदोन्नति मिल सकती है, जबकि दूसरी रेंज में एक वरिष्ठ हेड कांस्टेबल को कुछ समय इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए हम कठिनाई के इन संभावित मामलों के आधार पर कानून के समक्ष समानता से इनकार करने या सार्वजनिक सेवा में रोजगार के मामले में समानता से इनकार करने के रूप में इस प्रणाली को रद्द करने के लिए तैयार नहीं हैं।

(12) यह नियम जो सभी कांस्टेबलों के साथ समान व्यवहार करता है और उन्हें अपनी योग्यता दिखाने में सक्षम बनाता है, उसे केवल इसलिए अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्रतियोगिता का परिणाम उन लोगों की पसंद के अनुसार नहीं है जो ग्रेड बनाने में विफल रहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में यह अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति के मामले पर समान सिद्धांतों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए और इससे अधिक नहीं। यदि विचार के लिए नीति एक नियम में निर्धारित की गई है और ठीक से प्रशासित है, तो नियम को *संत राम शर्मा के मामले* (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के लॉर्डशिप द्वारा निर्धारित इन अनुच्छेदों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है।

(13) इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो कांस्टेबल देर से सेवा में शामिल होते हैं, उनके पास पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज में प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा करने की संभावना कम हो सकती है, लेकिन अकेले उस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि सेवा नियम उनके साथ अलग तरह से व्यवहार करते हैं। जब उम्मीदवारों की एक बहुत बड़ी संख्या में से चयन किया जाना

है, तो कार्यकारी अधिकारियों के लिए अन्य योग्यताओं के अलावा आयु की योग्यता निर्धारित करना खुला है। नियमों के नियम 13.7, जो एक पुलिस कांस्टेबल के लिए सूची बी में लाने के लिए 30 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा निर्धारित करते हैं, जो बदले में उसे प्रशिक्षण के लिए पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज में भेजे जाने के लिए योग्य बनाता है, इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के समक्ष *विचार के लिए विचार किया गया। अंबाला रेंज, अंबाला, और एक अन्य* बनाम *शमशेर सिंह कांस्टेबल*, [(6)] और संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया गया था। मेरे विद्वान भाई ओ। चिन्नप्पा रेड्डी, जे. ने नियमों का विस्तृत सर्वेक्षण करने के बाद पूर्ण पीठ के लिए निम्नानुसार बात की -

"ऐसा प्रतीत होता है कि हेड कांस्टेबल के चयन की प्रक्रिया कांस्टेबल के रूप में भर्ती होने के साथ-साथ व्यावहारिक रूप से शुरू होती है। नियम की योजना बहुत कम उम्र में हेड कांस्टेबलों का चयन और नियुक्ति करने के लिए शुरू से ही भर्ती किए गए लोगों को कठोर प्रशिक्षण और ड्रिल के माध्यम से रखना और हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नति के लिए उनमें से क्रीम का चयन करना प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि हर कोई जो कांस्टेबल के रूप में भर्ती होता है, वह सीधे हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नति के लिए उम्मीदवार बन जाता है और कई चरणों में प्रशिक्षण परीक्षण और परीक्षाओं से गुजरता है। यदि, 30 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले वह प्रशिक्षण, परीक्षण और परीक्षाओं के माध्यम से सफलतापूर्वक उभरता है, तो उसे सहायक उप-निरीक्षक, उप-निरीक्षक और निरीक्षक के रूप में आगे पदोन्नति की संभावना के साथ हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया जाता है। यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो वह कांस्टेबल के रूप में बना रहेगा, जिसमें कांस्टेबल के चयन ग्रेड में पदोन्नति की संभावना होगी और आमतौर पर अब और नहीं।

यहां तक कि श्री गुप्ता द्वारा *सार्दुल सिंह के मामले* (सुप्रा) पर भरोसा किया गया था, कांस्टेबलों से संबंधित प्रासंगिक नियम को पूर्ण पीठ द्वारा देखा गया था और यह देखा गया था: -

> उन्होंने कहा, 'इस नियम में चयन ग्रेड कांस्टेबल ोंं का उल्लेख किया गया है लेकिन हमें बताया गया है कि चयन ग्रेड कांस्टेबल की श्रेणी को समाप्त कर दिया गया है और केवल ऐसे कांस्टेबल हैं जिन्हें लोअर स्कूल कोर्स में भेजने के लिए सूची 'बी' में लाया गया है. प्रत्येक पुलिस अधीक्षक द्वारा नियम 13.6 के तहत कांस्टेबलों के चयन ग्रेड में पदोन्नति के लिए नियम 13.5 के तहत पात्र कांस्टेबलों में से सूची 'ए' का रखरखाव किया जाता है। सूची में नामों की संख्या जिले में ग्रेड की स्थापना के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिन कांस्टेबलों के नाम सूची 'क' में लाए जाते हैं, उनमें से उन कांस्टेबलों का चयन किया जाना होता है जिन्हें लोअर स्कूल कोर्स के लिए उम्मीदवार के रूप में उपयुक्त माना जाता है। लोअर स्कूल कोर्स के लिए उपयुक्त माने जाने वाले कांस्टेबलों के नाम रेंज के उप महानिरीक्षक के अनुमोदन से सूची 'बी' में दर्ज किए जाते हैं। इस प्रकार इस प्रावधान से यह स्पष्ट है कि सूची 'ए' में लाए गए प्रत्येक कांस्टेबल को लोअर स्कूल कोर्स के लिए जाने का कोई अधिकार नहीं है। उस पाठ्यक्रम के लिए सूची 'क' पर आरक्षकों को भेजने के लिए चयन की एक विधि प्रदान की गई है, अर्थात सूची 'क' में प्रत्येक कांस्टेबल की उपयुक्तता को उस जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा देखा जाना है, जिसके अधीन वह काम कर रहा है और रेंज के उप महानिरीक्षक द्वारा अनुमोदित किया जाना है। उस स्थिति में लोअर स्कूल पाठ्यक्रम के लिए भेजने के चरण में नियम में चयन का प्रावधान किया गया है। वे कांस्टेबल जो लोअर स्कूल कोर्स को सफलतापूर्वक पास करते हैं और हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नति के लिए पात्र माने जाते हैं, उन्हें नियम 13.8 के तहत सूची 'सी' में भर्ती कराया जाएगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सूची 'सी' में भर्ती होने के लिए दूसरा चयन तब शुरू होता है जब सूची 'बी' पर एक कांस्टेबल लोअर स्कूल कोर्स पास करता है। इसके बाद सूची 'सी'

में उनका प्रवेश स्वत: नहीं होगा, लेकिन इस बात पर विचार करना होगा कि क्या वह हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त हैं। इस उद्देश्य के लिए, उप-नियम 13.5 (2) में अंकन और पुलिस अधीक्षक के नोट्स या राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत, जिनके तहत कांस्टेबल ने काम किया है, उसकी योग्यता और चरित्र पर उसकी योग्यता और चरित्र को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जब उसे सूची 'सी' में भर्ती किया जाता है और उसे हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया जाता है।

(14) ये टिप्पणियां श्री गुप्ता के इस तर्क को सही नहीं ठहराती हैं कि कांस्टेबल की पदोन्नति की प्रक्रिया एक पुलिस कांस्टेबल के लोअर स्कूल कोर्स पास करने के बाद शुरू होती है। पूर्ण पीठ ने नियम 13.7 और 13.9 में नियोजित वाक्यांशविज्ञान की तुलना की और कहा-

"नियम 13.7 की तरह नियम 13.9 में इंटरमीडिएट स्कूल पाठ्यक्रम के लिए हेड कांस्टेबलों को भेजने के चरण में चयन के लिए प्रावधान करने में चूक से यह निष्कर्ष निकलता है कि नियम बनाने वाले प्राधिकरण द्वारा चूक जानबूझकर की गई थी और इस चूक के लिए एकमात्र निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि किसी भी हेड कांस्टेबल को इंटरमीडिएट स्कूल कोर्स के लिए जाने के अपने अधिकार से वंचित नहीं किया जाना है। ताकि वह सहायक पुलिस उप-निरीक्षक के अगले पद पर विचार या पदोन्नति के लिए खुद को योग्य बना सके।

(15) इसी प्रकार का एक प्रश्न न्यायमूर्ति बीआर तुली के समक्ष राम *लाभिया, सहायक पुलिस उप-निरीक्षक* और अन्य बनाम पंजाब राज्य, और *अन्य* बनाम *पंजाब राज्य और* न्यायाधीश ([7] के समक्ष विचार के लिए आया और विद्वान न्यायाधीश ने निम्नानुसार टिप्पणी की: -

"मुझे नहीं लगता कि चयन की विधि में बदलाव संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत पुलिस कांस्टेबलों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है। इससे पहले, यह रेंज के उप महानिरीक्षक द्वारा सहमत पुलिस अधीक्षक की राय थी जो प्रत्येक कांस्टेबल के सेवा

रिकॉर्ड के आधार पर प्रचलित थी। संशोधित नियमों के तहत, विभागीय पदोन्नति समिति का निर्णय प्रबल होना है और उस समिति का गठन पुलिस महानिरीक्षक द्वारा किया जाना है। परेड और सामान्य कानून में टेस्ट के अलावा इंटरव्यू और रिकॉर्ड की जांच का भी प्रावधान किया गया है ताकि यह नहीं कहा जा सके कि ऐसे कॉन्स्टेबल के सर्विस रिकॉर्ड पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रत्येक जिले में बड़ी संख्या में नियोजित कांस्टेबलों की तुलना में फिल्लौर में पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में सीटों की सीमित संख्या के कारण चयन की कुछ विधि प्रदान की जानी चाहिए। अंतर्निहित विचार यह है कि केवल उन कांस्टेबलों को आगे पदोन्नति के लिए योग्यता पाठ्यक्रमों के लिए चुना जाना चाहिए जो अच्छे, कुशल और ईमानदार पुलिस अधिकारी बनने का वादा दिखाते हैं। चयन के लिए निर्धारित विषय उन कर्तव्यों के लिए काफी प्रासंगिक हैं जो कांस्टेबलों को आगे पदोन्नति प्राप्त करने के बाद करना होगा। मेरी राय में, इसलिए, इस नियम को संविधान के अनुच्छेद 16 के उल्लंघन के आधार पर केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि चयन का तरीका बदल दिया गया है।

(16) इन टिप्पणियों के सामने, याचिकाकर्ताओं की ओर से यह उचित तर्क नहीं दिया जा सकता है कि उन्हें नियम 19.14 में निहित चयन की प्रक्रिया से गुजरे बिना पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज में शामिल होने का अधिकार है। इस नियम का उद्देश्य सेवा की दक्षता में सुधार करना है और सभी सूचीबद्ध कांस्टेबलों के मामलों में समान आवेदन है। इसे संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन बताकर निरस्त नहीं किया जा सकता।

(17) श्री गुप्ता द्वारा उठाया गया दूसरा मुद्दा किसी भी गंभीर ध्यान देने योग्य नहीं है। नियम 19.14 में कहा गया है कि कांस्टेबलों को मुख्यालय स्कूल में ड्रिल और निर्देश के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के माध्यम से रखा जाना चाहिए, प्रतियोगिता में इस पाठ्यक्रम के अंत में जांच की जानी चाहिए और पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में निर्धारित होने से तीन महीने पहले

पाठ्यक्रम के लिए चुना जाना चाहिए। यह विवादित नहीं है कि उन सभी को एक ही पाठ्यक्रम के माध्यम से रखा गया था और इसके अंत में प्रतियोगिता में जांच की गई थी। शिकायत सिर्फ यह है कि पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में चयन होने से तीन महीने पहले नहीं किया गया था। यदि इस तर्क को प्रबल माना जाता है, तो याचिकाकर्ता स्वयं पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में प्रवेश नहीं ले पाएंगे। चयनित होने की उम्मीद में लघु पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले याचिकाकर्ताओं को ग्रेड बनाने में विफल रहने के बाद संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में इस तर्क को उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(18) हमारे सामने कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया।

(19) ऊपर उल्लिखित कारणों के लिए, हम इस याचिका में कोई बल नहीं पाते हैं और इसे खारिज करने का आदेश देते हैं। कोई कीमत नहीं।

मुख्य न्यायाधीश आरएस *नरूला*- मैं इससे सहमत हूं।

न्यायमूर्ति *प्रेम चंद जैन*, मैं भी सहमत हूं।

जस्टिस *गुरनाम सिंह*, - मैं भी ऐसा ही करता हूं।

न्यायमूर्ति *आर. एन. मित्तल* - मैं सहमत हूं।

एन.के.एस.

---

(1) 1970 एस.एल.आर.

(2) ए.आई.आर. 1958 एस.सी. 538.

(3) ए.आई.आर. 1967 एस.सी. 1910.

(4) ए.आई.आर. 1966 एस.सी. 268.

(5) ए.आई.आर. 1964 एस.सी. 1559.

(6) 1977 एस.एल.आर.

(7) 1972 एस.एल.आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अभिनव गर्ग
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
फ़रीदाबाद,हरियाणा